# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर0ए0एस0)

**अपील संख्या– 2023/99**

नन्दकिशोर पुत्र मन्नालाल जाति भीणा निवासी ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।

**बनाम** **– अपीलांट**

1. जितेन्द्र पुत्र स्व. प्रभूलाल जाति भीणा निवासी ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा।
2. मोहनी बाई पुत्री स्व. प्रभूलाल पत्नी जुगल किशोर जाति मीणा निवासी ग्राम खानपुरिया पोस्ट बम्बोरी कला तहसील मांगरोल जिला बारां(राज0)
3. द्रोपदी बाई पत्नी रामेश्वर पुत्री स्व. प्रभूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम झूंगरली पोस्ट करवाड़ तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)
4. ललिता पुत्री प्रभूलाल पत्नी कौशल किशोर जाति मीणा निवासी ग्राम व पोस्ट लुहावद तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
5. निर्मिला पुत्री प्रभूलाल पत्नी राजेन्द्र उर्फ पप्पू जाति भीणा निवासी ग्राम नौनेरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
6. विमला पुत्री प्रभूलाल पत्नी सोनू जाति भीणा निवासी ग्राम व पोस्ट एणोदिया तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
7. कलावती पुत्री प्रभूलाल पत्नी खेमराज जाति भीणा निवासी लक्ष्मीपुरा की झोपडिया तहसील अटरू जिला बारां(राज0)।
8. शांति बाई विधवा पत्नी स्व. प्रभूलाल जाति भीणा निवासी ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।

**–रेस्पोडेन्टगण**

उपस्थित वक्त बहस–(1). हेमराज मीणा– अधिवक्ता अपीलांट
(2). सुरेन्द्र माहेश्वरी–अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 5, 6

**निर्णय** **दिनांक 27.09.2023**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 37/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 30.05.2023 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 ने मूलवाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी के स्व० पिता मन्नालाल पुत्र पन्नालाल के खाते संयुक्त प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 के कब्जे काश्त की कृषि आराजी खसरा संख्या 269 की 3.02 हैक्टेयर, खसरा संख्या 270 की 2.39 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1640 की 0.02 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1642 की 0.01 हैक्टेयर, खसरा संख्या 1650 की 0.02 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 5.4 हैक्टेयर भूमि वाके माल अयाना तह, पीपल्दा जिला कोटा में स्थित है जिसे आगे की मदो में सुविधा के लिये वादग्रस्त आराजी कहा गया है। उक्त विवादित कृषि आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी क्रम 1 की पैतृक कृषि आराजी है। प्रार्थी व अप्रार्थी न. 1 के पिता स्व० मन्नालाल की मृत्यु दिनांक 10/02/1995 को हुई थी जिसका फांती इन्तकाल न 2374 दिनांक 20/04/2015 को अप्रार्थी न. 2 द्वारा बिना किसी कानूनी प्रक्रिया को अपनाये बिना नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के पालना करते हुये अप्रार्थी क्रम 1 से मिलकर बिना प्रार्थी को सुने गैर कानूनी रूप से खोलने की कानूनी भूल की है तथा उक्त इन्तकाल से अप्रार्थी न. 1 को कोई हक व अधिकार हासिल नहीं होते हैं। अप्रार्थी क्रम 2 द्वारा बिना किसी प्रार्थी को नोटिस दिये बिना ही प्रार्थी के दस्तावेजी साक्ष्य पर ध्यान बिना पटवारी से प्रार्थी के कब्जे की जाँचे करवाये बिना मात्र सरसरी व गैर कानूनी तरीके से उक्त इन्तकाल की कार्यवाही को अन्जाम दिया गया उक्त इन्तकाल प्रार्थी के हितों के मुकाबले निष्प्रभावी व बेअसर है। प्रार्थी स्व० मन्नालाल का पुत्र है तथा प्रार्थी के समस्त दस्तावेजों पर उसके पिता का नाम प्रभुलाल दर्ज है तथा वादी अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिये उक्त वाद घोषणा बाबत पेश है प्रार्थी का उक्त विवादित कृषि आराजी में पुत्र होने के नाते 1/2 हिस्सा बनता है तथा प्रार्थी अपने निहित हिस्से 1/2 की घोषणा करवाते हुये माननीय न्यायालय की सहायता से प्राप्त करने का अधिकारी है तथा वादी घोषणा की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी अपने स्व० पिता मन्नालाल के जीवनकाल से ही अपने निहित हिस्से 1/2 पर शांतिपूर्वक तरीके से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 अनु0 जनजाति (एस.टी) के सदस्य है जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं बल्कि वो पुराने हिन्दू कानून से शासित होते हैं जिसके तहत पुरुषों के जीवित होते हुये पैतृक कृषि आराजी से महिलाओं को कोई हक व अधिकार नहीं होता है इसलिए महिलाओं को पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थी उक्त विवादित कृषि आराजी में अपने निहित 1/2 यानि 2.73 हैक्टेयर पर संयुक्त रूप से काश्त करना मुमकिन नहीं रह गया है इसलिए प्रार्थी अपने निहित हिस्से 1/2 का बंटवारा करवाकर पृथक से राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है तथा प्रार्थी बंटवारे की डिक्री प्राप्त करने का अधिकारी है, ताकि पृथक से प्रार्थी का नाम दर्ज हो सके व लगान व कर्ता पृथक से कायम हो सके। अप्रार्थी क्रम 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी को अभी दिनांक 20/07/2016 को अप्रार्थी क्रम 1 ने उक्त विवादित कृषि आराजी अन्यत्र बेचान करने व वादी को बेदखल करने की धमकी दी है

तथा अप्रार्थी क्रम 1 अपनी उक्त धमकी को सरोकार करने व उक्त विवादित पैतृक कृषि आराजी का बेचान अन्यत्र करने पर हरबन्द उतारु है जबकि अपार्थी कम 1 को ऐसा करने का कोई कानूनी हक व अधिकार हासिल नहीं है यदि अप्रार्थी क्रम 1 अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो प्रार्थी को अपूर्णीय क्षति होगी व प्रार्थी के साम्पत्तिक अधिकारों का हनन होगा। इसलिए प्रार्थी को यह हक व अधिकार हासिल है कि वो अपने साम्पत्तिक अधिकारों की रक्षा करे इसलिए मजबूर होकर प्रार्थी को खातेदारी घोषणा बटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा का बाद पेश करना लाजिम आया तथा प्रार्थी माननीय न्यायालय के खातेदारी घोषणा एवं बंटवारा व अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रथम वृष्ट्या मामला प्रार्थी के पक्ष में है क्योंकि उक्त विवादित कृषि आराजी प्रार्थी के पिता की होकर प्रार्थी की पैतृक कृषि आराजी है जिसमें प्रार्थी का जन्म से ही अधिकार निहित है। सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अन्त में निवेदन किया कि न्यायहित में प्रार्थी कर प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार फरमाते हुये अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाये कि मूल बाद के निराकरण होने तक प्रार्थना पत्र की मद न 2 में वर्णित पैतृक कृषि आराजी खसरा संख्या 269 की 3.02है खसरा संख्या 270 की 2.39 है, खसरा संख्या 1640 की 0.02 खसरा संख्या 1642 की 0.01 है, खसरा संख्या 1650 की 0.02 है, कुल किता 5 कुल रकबा 5.46 है. भूमि वाके माल अयाना तह पीपल्दा जिला कोटा को किसी अन्य व्यक्ति संस्था निगम निकाय को रहन बेचान वसीयत न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधियों से करवाये और न ही प्रार्थी के 1/2 हिस्से ने कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मदालत न तो स्वयं उत्पन्न करे और न ही अपने किसी अन्य प्रतिनिधियों से करवाये।

3. उक्त आशय का प्रार्थना पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। दिनांक 30.05.2016 को प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 8 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया कि वह मूलवाद के निस्तारण तक विवादित भूमि को किसी अन्य व्यक्ति संस्था निगम निकय को रहन बेचान वसीयत न तो स्वयं करे न ही अपने किसी प्रतिनिधियों से करवाये और न ही प्रार्थी के 1/2 हिस्से के काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत न तो स्वयं उत्पन्न करे न ही अपने किसी अन्य प्रतिनिधियों से करवाये।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2023 से व्यथित होकर अपीलांट अप्रार्थी संख्या 1 ने यह अपील प्रस्तुत की है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया । सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्टगण संख्या 1, 5, 6 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। रेस्पोडेन्ट संख्या 9 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल मिसल किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अपील के विचाराधीन रहते हुए विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. प्रस्तुत किया गया। अपीलांट ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के साथ संलग्न दस्तावेज राजकीय दस्तावेज है। उक्त दस्तावेज अपील के न्यायिक निस्तारण में सहायक है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाना आवश्यक है। अन्त में प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजो को रिकॉर्ड पर लिये जाने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. में अंकित कथनों का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि अपील के इस स्तर पर उक्त दस्तावेजो को रिकॉर्ड पर लिया जाना उचित नहीं है। अन्त में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. खारिज किये जाने का निवेदन किया। हमने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. व उसके साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज राजकीय दस्तावेज है। उक्त दस्तावेजों का प्रकरण से सुसंगत होना तथा अपील के निस्तारण में सहायक सिद्ध होना प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लिया जाता है।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत की तथा अपनी बहस मे अपील मेमो व लिखित बहस मे अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने ग्राम पंचायत अयाना की रिपोर्ट दिनांक 06.07.2021 भी पेश की गई तथा हस्तगत अपील के साथ भी पेश की गई। उक्त रिपोर्ट पर बिना तार्किक विवेचन किये बिना तथा प्रभूलाल किस प्रकार से मन्नालाल का पुत्र है इस तथ्य की विवेचना किये बिना ही निर्णय पारित किया है जो कानूनन निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिक दिनांक 19.04.2023 में पत्रावली वास्ते जवाब/तलबी हेतु दिनांक 30.05.2023 में नियत थी लेकिन दिनांक 30.05.2023 को तलबी पर कोई आदेश ही पारित नहीं किया गया। सीधे ही बहस सुनकर दिनांक 30.05.2023 को ही निर्णय पारित कर विधिक प्रकिया के आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन कर जैर अपील निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है, क्योंकि माननीय न्यायालय द्वारा भी अपीलांट की पत्रावली प्राप्त होने से पूर्व प्रस्तुत लिखित बहस को प्रकिया के विरूद्ध बताया तो अपीलांट को यह लिखित बहस पेश की जा रही है। इस प्रकार से माननीय न्यायालय द्वारा विधिक प्रकिया के आज्ञापक प्रावधानों का सम्मान किया गया है, तो अधीनस्थ न्यायालय का जैर अपील आदेश निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब करने हेतु जब–जब भी पत्र जारी किये गये तो डाक द्वारा अपीलांट के अधीनस्थ न्यायालय में पहुंचने पर तथा जिला कलेक्टर कोटा को हर पत्र के सम्बंध में जर्ये आवेदन अवगत कराने पर भी पत्रावली नहीं भेजने पर माननीय न्यायालय द्वारा डी.ओ. पत्र जारी करने पर पत्रावली नहीं भेजने पर अपीलांट के अधिवक्ता

द्वारा राजस्व मण्डल के चेयरमेन, ए.सी.बी. जयपुर, सी.जे. साहब राज0 हाईकोर्ट जयपुर को लिखित रूप में निवेदन करने पर योग्य अधीनस्थ न्यायालय के डी.ओ./पी.ओ. का स्थानान्तरण होने पर नये डी.ओ./पी.ओ. साहब द्वारा भी दिनांक 21.08.2023उ तक पत्रावली नहीं भेजी गई तथा दिनांक 28.08.2023 को भी न्यायालय समय शुरू ओने पर 11 बजे तक पत्रावली नहीं भेजी गई तब अपीलांट के द्वारा आवेदन पेश किया तथा आवेदन के साथ चेयरमेन राजस्व मण्डल अजमेर की प्रतियां पेश करने पर समय 12–1 बजे के मध्य में पत्रावली माननीय न्यायालय को प्राप्त होती है। माननीय न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के सूपरविजन की शक्तियाँ भी प्राप्त होने पर रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता की आपत्ति पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को माननीय न्यायालय की पत्रावली से हटाकर सुपरविजन की कार्यवाही हेतु पृथक से रख लिये गये है। इस प्रकार योग्य अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का हितबद्ध व्यवहार एक एस.टी. वर्ग के पक्षकार के प्रति किया जाकर जैर अपील निर्णय पारित किया गया है जो खारिज होने योग्य है। उक्त प्रकरण/ अपील में मूल विवाद प्रभूलाल के मन्नालाल का पुत्र अथवा उत्तराधिकारी होने का है। इस सम्बंध में दिनांक 20.06.2023 को योग्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश 7 नियम 11 जा.दी. का आवेदन मूलवाद में पेश किया गया है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 10.03.2015 को तहसीलदार पीपल्दा को पेश आवेदन में प्रार्थीयान जितेन्द्र पुत्र प्रभूलाल जाति मीणा निवासी अयाना ने प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु की दिनांक 10.02.1995 को होने पर फोती इंतकाल दर्ज करने का पेश करने पर एक लिखित तहरीर रिपोर्ट थाना अयाना को भी अपीलांट के पुत्र द्वारा पेश की गई प्रतियॉ संलग्न है तथा आदेश 7 नियम 11 जा.दी. की प्रमाणित प्रति माननीय न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। इस प्रकार से प्रभूलाल के उत्तराधिकार का विवाद का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं होने से भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्तनीय है। यह कि कानून का सुस्थापित सिद्धांत है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के आवेदन का निस्तारण करते समय प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का संतुलन व अपर्णीय क्षति के तीनों बिन्दुओ पर तार्किक रूप से विधिवत रूप से विवेचना करते हुए आदेश पारित करने के लिये, सम्पत्ति के स्वामित्व का विवाद हो तो सम्पत्ति का आधिपत्य को मद्देनजर रखते हुए सम्पत्ति पर आधिपत्य जिस पक्षकार का है और किस हैसियत से वह आधिपत्य है एवं आधिपत्य भी बिना संदेह उत्पन्न किये होने पर पृथम दृष्ट्या केस व सुविधा का संतुलन उस पक्षकार के पक्ष में ही निर्णित किये जाते है, क्योंकि उस पक्षकार को यदि अस्थायी निषेधाज्ञा के आदेश की आड में डिसपजेस कर दिया जाता है तो उसको इस प्रकार से अपूर्णीय क्षति कारित होगी, जिसकी क्षति भारतीय मुद्रो में तो सम्भव है ही नहीं, साथ ही उसको अनेक प्रकार के मुकदमों में अपने पजेशन को रेस्टोर करने के लिये कई पीडियों तक लड़ना पड़ेगा, चूँकि योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है, उसमें सम्पत्ति का स्वामित्व यानि कि विवादित भूमि पर अपीलांट आने पिता मन्नालाल जी के साथ ही विधिक वरिस की हैसियत से निर्बाध रूप से बतौर खातेदार काश्तकार रिकॉर्डेड खातेदार के रूप में काबिज़ काश्त है, लेकिन योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस सम्बन्ध में किसी प्रकार की कोई फाइण्डिग दिये बिना ही जैर अपील

आदेश पारित किया गया है, वह विधिवत रूप वे निरस्तनीय है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा जाने जवाब प्रार्थना पत्र व जवाब दावे के साथ में राजस्व अभिलेख के रूप में तहसीलदार पीपल्दा का आदेश कमांक– 110/एल./आर./दस्ती दिनांक– 25.2.23 आदेश पारित होने पर रेस्पोडेण्ट नं 1 द्वारा दिनांक– 10.3.15 को तहसीलदार पीपल्दा को भी आवेदन पेश किया और उक्त आवेदन में अपने आपको मन्नालाल का पुत्र होना साबित करते हुए नामांतरण तस्दीक करने के लिये पेश करने पर तहसीलदार पीपल्दा द्वारा मूल आवेदन ही पटवारी हल्का आयाना को प्रेषित कर दिया, जिस पर पटवारी हल्का अयाना द्वारा दिनांक– 11–3–15 को रिपोर्ट करते हुए तहसीलदार पीपल्दा को वापस लौटाया गया, उसके पश्चात में तहसीलदार पीपल्दा द्वारा ग्राम पंचायत की रिपोर्ट प्राप्त कर तथा स्वयं तहसीलदार पीपल्दा द्वारा सालतन मौके पर उपस्थित होकर ग्रामवासियों से पूछताछ कर कब्जे की रिपोर्ट प्राप्त कर नामांतरण तस्दीक किया गया है । उसके पश्चात रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त नामांतरण की प्रक्रिया व नामांतरण को किसी भी सक्षम न्यायालय में आज दिन तक चेलेंज नही किया गया है, बल्कि उक्त नामांतरण की प्रक्रिया व नामांतरण को कूटरचित बनावटी व फर्जी बताते हुए एक परिवाद न्यायिक मजिस्ट्रेट इटावा में पेश करने पर उस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 137/22 पर थाना थाना द्वारा अनुसंधान कर अंतिम प्रतिवेदन पेश किया गया । उक्त अंतिम प्रतिवेदन पर भी रेस्पोडेण्ट नं. 1 के द्वारा किती भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई । इस प्रकार के समस्त दस्तावेजी साक्ष्य योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होते हुए भी जैर अपील आदेश विधि के प्राप्त सिद्वांतों के विपरीत जाकर पारित किया गया है, जो निरस्तनीय है ।योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रभूलाल के राशन कार्ड व मतदाता सूची को आधार बनाकर जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जबकि विधिवत रूप ते राशन कार्ड व मतदाता सूची व्यक्ति के निवास स्थान को प्रमाणित करते है। उक्त दस्तावेज किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति का उत्तराधिकारी घोषित करने के लिये काम में नहीं लिये जा सकते । इस प्रकार से उक्त वाद में उत्तराधिकार के सम्बन्ध में मूल विवाद है और उत्तराधिकार के लिये योग्य अधीनत्य न्यायालय सक्षम न्यायालय नही है और ना ही उत्तराधिकार के सम्बन्ध में रेस्पोडेण्ट्स द्वारा आज तक जानकारी होते हुए भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस प्रकार से रेस्पोडेण्ट्स के विरुद्ध तहसीलदार पीपल्दा का आदेश व उत्तराधिकार के सम्बन्ध में कार्यवाही नहीं करने पर किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिये एस्टोड के सिद्वांत के तहत जैर अपील आदेश पारित किया गया है, वह निरस्तनीय है । स्व. मन्नालाल जी की विरासत का इंतकाल संख्या – 1374/20.4.15 तस्दीक किया गया, उसमें नन्द किशोर के साथ मन्नालाल जी की पुत्री किशनी बाई का नाम भी राजस्व रिकॉर्ड में अपने भाई के साथ दर्ज किया गया था और किशनी बाई के द्वारा अपने 1/2 हिस्से को नन्द किशोर के पक्ष में रिलीज डीड कर देने के पश्चात उक्त रिलीज डीड के आधार पर नामांतरण सं. 2514 दिनांक– 05.05.2016 प्रमाणित करने के पश्चात प्रभूलाल के द्वारा दिनांक– 03.08.2016 को उक्त वाद योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, इस वाद में किशनी बाई द्वारा किये गये हक त्याग को प्रभूलाल के द्वारा उसके हिस्से तक सुनने व बेअसर करने की प्रार्थना भी

नहीं की गई है और ना ही किशनी बाई के द्वारा नन्द किशोर के पक्ष में किये गये हक त्याग को सक्षम न्यायालय में चुनौती दी गई है । इस प्रकार से उक्त समस्त तथ्यों से प्रभूलाल एस्टोप्ड के सिद्धांत के आधार पर किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नही होते हुए भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है, वह निरस्तनीय है । रेस्पोडेण्ट क्रम –1 लगायत 7 के पिता व रेस्पोडेण्ट नं –8 के पति ने अपने वाद पत्र व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के पेरा नं.6 में अपने आप को मन्नालाल पुत्र होना अंकित करते हुए वाद पेश किया है, साथ ही यह भी अंकित किया गया है कि मन्नालाल जी की मृत्यु 1995 में हो गई थी तो प्रभूलाल के द्वारा 1995 से लेकर 2016 तक किस कारणवश नामांतरण की कार्यवाही की गई, ऐसा स्पष्टीकरण अपने वादपत्र में इसलिए अंकित नहीं किया गया, क्योंकि प्रभूलाल मन्नालाल जी का विधिक वारिस व उत्तराधिकारी पुत्र ही नहीं है और रेस्पोडेण्ट नं. 1 द्वारा दिनांक–10–3–15 को तहसीलदार पीपल्दा को प्रेषित आवेदन से भी संदेह उत्पन्न करता है कि 1995 में मृत्यु मन्नालाल की हुई या प्रभूलाल की हुई और रेस्पोडेण्ट नं.1 किसके विधिक प्रतिनिधि है। वारिस होना तो उक्त वाद में दौराने साक्ष्य लेखबद्ध करने के पश्चात किया जाना अभी बाकी है। उक्त समस्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष संदेज उत्पन्न करते थे, लेकिन फिर भी केवल मात्र कयासों के आधार पर रिकॉर्डेड खातेदार के विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का आदेश पारित किया गया है वह न्याय के विरुद्ध है, जो निरस्तनीय है । कानून का यह तुस्थापित सिद्धांत है कि जहां पर किसी पक्षकार के अभिवचनों से ही संदेह उत्पन्न होता हो वहां पर संदेह का लाभ वह पक्षकार कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है और प्रभूलाल के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में योग्य अधीनस्थ न्यायालय घोषणा के वाद के अन्दर तय नहीं किया जा सकता, इसलिए भी अपीलांट को कानूनन पाबंद करने का आदेश पारित किया गया है, वह निरत्तनीय है । कानून का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि भारतीय हिन्दू उत्तराधिकार मीणा जाति पर लागू नहीं होता है, लेकिन पुराने हिन्दू लॉ के प्रावधानों के अनुसार किती भी निरवसीयती की विरासत में उसकी जीवित पुत्री का हक व अधिकार है व उसी के अनुरूप वादग्रस्त आराजी में किशनी बाई का अपीलांट के साथ 1/2 हिस्सा का नामांतरण तहसीलदार पीपल्दा द्वारा प्रमाणित किया गया और उसके 1/2 हिस्से को उसके द्वारा एक एकांतिक अधिकार के रूप में नन्दकिशोर के पक्ष में रिलीज डीड किया गया, उसको आज दिन तक चेलेंज नहीं किया गया।तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट में प्रभूलाल को गेलड पुत्र माना गया है, इसलिए भी जैर अपील आदेश निरस्तनीय है । पुराने हिन्दू कानून उत्तराधिकार में पिता की सम्पति उनके विधिक पुत्र पुत्री व विधवा को प्राप्त होती है। लेकिन उक्त प्रकरण में प्रभुलाल व नन्दकिशोर के जैविक पिता अलग अलग होने से प्रभूलाल को वादग्रस्त आरजी में किसी भी प्रकार का हक व अधिकार प्राप्त नही होता है। इस प्रकार के समस्त तथ्य योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होने पर भी कानून से बाहर जाकर जैर अपील आदेश पारित किया गया है, वह निरस्तनीय है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रभूलाल के द्वारा प्रस्तुत अभिवचनों को साक्ष्य लेखबद्ध करने के उपरांत ही निस्तारित किया जा सकता है, बिना दावे के निस्तारण से पूर्व अपीलांट जो कि रिकॉर्डेड

खातेदार है, को अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश की आड में डिसपजेश विधिवत रूप से नहीं किया जा सकता है । ऐसा अधीनस्थ न्यायालय ने जैर अपील आदेश पारित किया है, वह निरस्तनीय है । अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश/निर्णय दिनांक 30.05.2023 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया तथा ग्राम अयाना की भूमि खसरा नं. 269 रकबा 3.20 हेक्टेयर खसरा नं. 270 रकबा 2.39 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 1640 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1642 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नं. 1650 रकबा 0.02 हेक्टेयर कुल किता – 5 रकबा 5.46 हेक्टेयर भूमि से अपीलांट को बेदखल नही करने हेतु रेस्पोडेण्ट्स को पाबंद किये जाने का निवेदन किया तथा अपीलांट के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत एवं मजाहमत ना तो रेस्पोडेन्टगण स्वयं करे और ना ही अन्य प्रतिनिधि एजेन्टों से करावे इस आशाय का आदेश अपीलांट के पक्ष में जारी किये जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 5, 6 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि हस्तगत वाद सन् 2016 से चल रहा है। दिनांक 03.08.2016 को एकतरफा अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 30.05.2023 के द्वारा कन्फर्म कर दिया। मूलतः विवादित भूमि मन्नालाल की खातेदारी की थी मन्नालाल के तीन वारिस नन्दकिशोर, प्रभूलाल पुत्र व किशनी बाई पुत्री है। रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 8 प्रभूलाल के वारिस है। प्रभूलाल के राशन कार्ड , मनरेगा जॉब कार्ड व आधार कार्ड में पिता का नाम मन्नालाल अंकित है। विवादित भूमि रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 8 व उनके पिता व पति प्रभूलाल के हक अधिकार की भूमि है। विवादित भूमि पर रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 8 व उनके पिता प्रभूलाल का जन्म से हक अधिकार निहित है। मीणा जनजाति में लड़कियों को कोई हक अधिकार निहित नहीं होने से मन्नालाल के खाते की सम्पूर्ण भूमि पर प्रभूलाल व नन्दकिशोर प्रत्येक का 1/2, 1/2 हक हिस्सा निहित है। अपीलांट की ओर प्रस्तुत ग्राम पंचायत की ओर से जारी वारिसान के संबंध में दस्तावेज मान्य नहीं है क्योंकि ग्राम पंचायत को वारिसों की घोषणा का अधिकार विधिक रूप से प्राप्त नहीं है। अतः उक्त दस्तावेज मान्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अन्त मे अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2023 को यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

8. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। हस्तगत प्रार्थना–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के तहत प्रस्तुत किया गया है। जिसमें आवश्यक तीनो बिन्दुओं प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, अपूरणीय क्षति व सुविधा का संतुलन पर विचार किया जाकर ही हस्तगत प्रकरण के अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। ये तीन प्रमुख घटक है–(1) प्रथम दृष्ट्या प्रकरण (2) सुविधा का संतुलन (3). अपूरणीय क्षति। यह तीनो शर्ते संयुक्त रूप से

पूरी होने पर ही अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है। उपरोक्त तीनों बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य मे प्रकरण को देखा जाना उचित होगा। (1). प्रथम दृष्ट्या प्रकरण–अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न फोटोप्रति जमाबंदी सम्वत 2070 से 2073 के अनुसार ग्राम अयाना तहसील पीपल्दा जिला कोटा की भूमि खाता संख्या 489 की खसरा संख्या 269, 270, 1640, 1642, 1650 किता 5 रकबा 5.46 हैक्टेयर मन्नालाल पुत्र पन्ना कोम मीना सा. देह की खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है अतः उक्त जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट वर्तमान में विवादित भूमि का अभिलिखित खातेदार है। साथ ही अपीलांट ने विवादित भूमि पर स्वयं का कब्जा काश्त होने का कथन किया किया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 8 ने ऐसा कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य पेश नहीं किया है, जिससे उनका विवादित भूमि पर काबिज काश्त होना प्रमाणित होता हो। सामान्यतः यह धारणा है कि अभिलिखित खातेदार का कब्जा–काश्त माना जाता है। न्यायालय हाजा की पत्रावली में संलग्न तहसीलदार पीपल्दा का आदेश कमाकं/110/LR दिनांक 25.02.2015 तथा ग्राम पंचायत अयाना की रिपोर्ट प्रथम दृष्ट्या अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होती है हालांकि इसके सम्बंध में अंतिम निर्णय मूलवाद के निस्तारण में तय होगा। अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट का तर्क है कि प्रभूलाल, मन्नालाल का जायन्दा पुत्र है। परन्तु हमारे मत में उस सम्बंध में अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। केवल कथनों के आधार पर रिकॉर्ड व मौके पर कब्जे–काश्त के सम्बंध में पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में प्रकरण प्रथम दृष्ट्या अपीलांट के पक्ष में नहीं माना जा सकता। अपितु हस्तगत प्रकरण अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होता है। माननीय राजस्व मण्डल के कई ऐसे निर्णय है कि जिनके सामान्यतः अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं माना है। अतः प्रथम दृष्ट्या केस रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में नही होकर अपीलांट के पक्ष में होना प्रतीत होता है। (2) सुविधा का संतुलन–चूंकि अपीलांट विवादित भूमि का अभिलिखित खातेदार है जबकि रेस्पोडेन्टगण न तो विवादित भूमि के खातेदार है और न स्वंय के काबिज काश्त होना साबित कर पाये है ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन अपीलांट के पक्ष में तुलनात्मक रूप से अधिक होना प्रतीत होता है। (3). अपूरणीय क्षति– चूंकि अपीलांट विवादित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है । यदि अपीलांट को स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है तो अपीलांट को अपूरणीय क्षति होगी। रेस्पोडेन्टगण न तो विवादित भूमि के खातेदार है और न ही वे प्रथम दृष्ट्या ठोस दस्तावेज/साक्ष्य से उनका कब्जा काश्त साबित कर पाए। ऐसी स्थिति में यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने पर अपीलांट को क्षति होने की संभावना है। इस प्रकार हस्तगत प्रकरण मे प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 8 के पक्ष मे नहीं होकर अपीलांट के पक्ष में होना साबित होते है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तीनो बिन्दुओ पर जो निष्कर्ष पारित किया है उससे हम सहमत नहीं है। न्यायालय हाजा की पत्रावली में संलग्न तहसीलदार पीपल्दा का आदेश कमाकं/110/LR दिनांक 25.02.2015 तथा ग्राम पंचायत अयाना की रिपोर्ट प्रथम दृष्ट्या अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रश्न पर अपीलांट के पक्ष में प्रतीत होती है। हालांकि यह बिन्दु साक्ष्य के आधार पर मूलवाद के निस्तारण में तय होना है। एक अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पर्याप्त व ठोस

आधार पर ही जारी की जा सकती है। प्रभूलाल का मन्नालाल की भूमि में क्या हक अधिकार है? इसका निर्धारण मूलवाद के निस्तारण में तय होना है। जहां तक रेस्पोडेन्टगण के विवादित भूमि के सम्बंध में हक अधिकारों का प्रश्न है, इसका निर्णय मूलवाद के अंतिम निस्तारण में तय होना है। उपर्युक्त विवेचन व विश्लेषण से स्पष्ट प्रतीत होता है कि अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो घटक रेस्पोडेन्ट के पक्ष में नहीं होकर अपीलांट के पक्ष में है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष से हम सहमत नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.05.2023 विधि सम्मत नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट–ट्रेक इटावा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 37/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 30.05.2023 खारिज किया जाता है।

10. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

11. निर्णय आज दिनांक 27.09.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा